

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

242

सं० सं०-प्र०१०/ख०वि०अधि०-०१/१५ १३४४ खाद्य, पटना/दिनांक १८.१२.१५

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी


विषय- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम २०१५-१६ अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु खेती करने वाले किसानों के पंजीयन के संबंध में।

महेश्वर,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम २०१५-१६ अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-१००४ दिनांक ०१.१२.२०१५ के द्वारा विस्तृत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश निर्गत किया जा चुका है। उक्त की कंडिका-०७ में धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात के संबंध में निर्देश दिया गया है, लेकिन जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं वैसे किसानों को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः इस प्रकार के किसानों के ऑन लाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर ही आवेदन प्राप्त की जाय एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे किसानों का आवेदन का सत्यापन हेतु 'जिला स्तर पर कृषि विभाग के द्वारा सत्यापन एवं पंजीकरण' की व्यवस्था लागू की जाय, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।


उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


सरकार के सचिव


ज्ञानांक:- प्र०१०/ख०वि०अधि०-०१/१५ १३४४ खाद्य, पटना/दिनांक १८.१२.१५

प्रतिलिपि:- सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञानांक:- प्र०१०/ख०वि०अधि०-०१/१५ १३४४ खाद्य, पटना/दिनांक १८.१२.१५

प्रतिलिपि:- प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधन, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञानांक:- प्र०१०/ख०वि०अधि०-०१/१५ १३४४ खाद्य, पटना/दिनांक १८.१२.१५

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव